

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:-स्वाधीनता दिवस समारोह-2021 के अवसर पर योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने बाबत्।

स्वाधीनता दिवस समारोह-2021 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम-7 के अन्तर्गत जिला कलक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्ड/जिला परिषद इत्यादि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

- विभाग अपने स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर, न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही सात वर्षों यथा वर्ष 2014-2015 से 2020-21 तक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किये जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
- प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की सिफारिश व विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर, सुस्पष्ट आठ प्रतियों में प्रेषित करें।
- प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय सेवा/कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो लगभग एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में आठ प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
- राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग-अलग प्रस्ताव भेजें।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
- संलग्न प्रपत्र के कॉलम संख्या-5 का प्रमाणीकरण अभिलेख के आधार पर सुनिश्चित करें।
- एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण-पत्र के लिये प्रस्तावित किये जावें।
- एक सहकारी संस्था/नगरपालिका/निगम/मण्डल/बोर्ड/जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।
- जिला कलक्टरों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा तीन-तीन जिला कलक्टरों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव उनके द्वारा सम्पादित यथा (1) राजस्व वसूली तथा राजस्व संबंधी प्रकरणों का निपटारा (2) बीस सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य विशिष्ट योजना/योजनान्तर्गत उपलब्धियाँ (3) विकास संबंधी कार्य (4) कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्य इत्यादि कार्यों/उपलब्धियों के तुलनात्मक विवरण के साथ संबंधित प्रशासनिक विभाग अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव, मय वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के साथ आठ प्रतियों में संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर भिजवावें।
- पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित जिला कलक्टर/अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजें जावें तथा प्रत्येक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

कृ.प.उ.

12. प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेखित किया जावे कि इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है।
13. प्रस्ताव आठ प्रतियों में ही स्वीकार किये जायेंगे।

अतः आपके अधीन नियोजित जिला कलकटरों, अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल के संबंध में विवरण तथा उनकी सेवायें किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी सहित संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 30 जुलाई, 2021 तक अवश्यमेव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें, ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही को जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

साथ ही यह भी लेख है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग प्रस्ताव भेजते समय अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदनों का वांछित मूल्यांकन करके ही प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- 2-प्रपत्र।




(गायत्री राबैड़)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिवगण।

अशा० टीप क्रमांक: प० 25(1)म.म. / 2021

जयपुर, दिनांक:— 16/07/2021

1. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा० मंत्री/राज्यमंत्री।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों (जिला कलकटरों सहित) को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 26.07.2021 तक संलग्न प्रपत्र में प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 30.07.2021 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी/सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज०, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन (युप-३) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

स्वाधीनता दिवस समारोह-2021 के अवसर पर जिला कलक्टरों, राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नामः

- (ख) पदनाम, पै-बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं लेवल पे-मैट्रिक्स सहितः
- (ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पदः
- (घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित)ः
- (ङ.) घर का पताः
- (च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाइल नं./ई-मेल

2. जन्म तिथिः

- 3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीखः
- 4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।
- 5. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्रः
 - (क) अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
 - (ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।
- 6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा:
- 7. अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ तो उसका विवरणः
- 8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?
- 9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का व्यौरा, यदि कोई है:
- 10. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष की टिप्पणीः
- 11. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

स्वाधीनता दिवस समारोह-2021 के अवसर पर जिला कलक्टरों, राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नामः

(ख) पदनाम, पै—बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं लेवल पे—मैट्रिक्स सहितः

(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पदः

(घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित)ः

(ड.) घर का पताः

(च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई-मेल

2. जन्म तिथिः

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीखः

4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।

5. क्या जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष की अभिशंषा प्राप्त हैः—

6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंषाः

7. अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि हॉ तो उसका विवरणः

8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?

9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई हैः

10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

प्रशासनिक विभाग के अतिमुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांकः

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:- स्वाधीनता दिवस तमारोह-2021 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

स्वाधीनता दिवस समारोह-2021 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिये निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अनुशंशा सहित संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 26.07.2021 तक प्रेषित किये जावें।
2. जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षण व सक्षम स्तर से अनुमोदन (संबंधित मंत्री मतदाय) प्राप्त कर विभागीय अनुशंशा के साथ प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को दिनांक 30.07.2021 तक भिजवाया जावें।
3. उक्त प्रस्ताव 8 प्रतियों में प्रेषित किये जावें। विशिष्ट उपलब्धियों/कार्यों का उल्लेख अधिकतम एक पृष्ठ में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जावे।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित इकाई के सभी बिन्दुओं की प्रविष्ट्यां पूर्ण की जावे।
5. राज्य स्तरीय समारोह (ग्रामतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस) में प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित व्यक्तियों/संस्थाओं के प्रस्ताव नहीं भेजे जावे तथा यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

कृपया उक्त प्रस्ताव दिनांक 30.07.2021 तक उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूरी कर मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें, ताकि यथा समय अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न: प्रपत्र।

(गायत्री राठौड़)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

अशा० टीप क्रमांक: प० 25(1)मं०/20.१ पार्ट

जयपुर, दिनांक: 16/07/2021

प्रतिलिपि:

1. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, एवं मंत्री/राज्यमंत्री।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 26.07.2021 तक प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 30.07.2021 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी/सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज०, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन (पुप-3) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(कलाश चन्द गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

स्वाधीनता दिवस समारोह-2021 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पता:
4. पत्राचार का पूरा पता (दूसरा संख्या/मोबाईल नं./ई-मेल आदि सहित)
5. जन्म तिथि:
6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण:
7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है तो उसका विवरण:
8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
9. जिला कलेक्टर की टिप्पणी:
10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:
11. प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था को समाज में सामान्य प्रतिष्ठा कैसी है:-

जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक:

स्वाधीनता दिवस समारोह—2021 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय अतिःमुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पता:
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या/मोबाईल नं./ई—मेल आदि सहित)
5. जन्म तिथि:
6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण:
7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है तो उसका विवरण:
8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
9. जिला कलेक्टर की अभिशंषा प्राप्त है अथवा नहीं:
(जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित पत्र एवं प्रपत्र की प्रति संलग्न करें)
10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:
11. प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था की समाज में सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने के लायक हैं या नहीं?
12. क्या उक्त व्यक्ति/संस्था राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु वास्तव पात्रता रखते हैं:
13. क्या उक्त व्यक्ति/संस्था को पूर्व में राज्य स्तरीय समारोह (15 अगस्त एवं 26 जनवरी) के अवसर पर प्रशस्ति—पत्र से सम्मानित किया गया है, यदि हाँ, तो विवरण अंकित करें।

प्रशासनिक विभाग के अतिःमुख्य सचिव/प्रमुख शासन
सचिव/शासन सचिव के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक: